माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रं./अका./2021/236, भोपाल, दिनांक 03-02-2021

आदेश

विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेन्डर क्रमांक/1037/अका./2020 दिनांक 05-11-2020 के द्वारा दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2021 को तृतीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निर्धारित की गई थी, उक्त परीक्षा की तिथि में संशोधन किया जाता है। यह परीक्षा अब दिनांक 22 से 26 फरवरी 2021 के मध्य आयोजित की जायेगी। इस संबंध में निम्नानुसार व्यवस्थाएं निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाए-

1. वर्तमान कोविड -19 की परिस्थिति के चलते शासन द्वारा जारी निर्देशों के तारतम्य में उक्त परीक्षायें ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से ही आयोजित की जाए।
2. पाठ्यक्रमों के सभी विषयों पर आधारित आंतरिक मूल्यांकन **परीक्षा हेतु संबंधित विषय के सम्पूर्ण कोर्स का समावेश** करें।
3. विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अध्यापन कार्य करवा रहे विषय शिक्षक सेमेस्टर परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रश्न पत्र ई मेल/अन्य सुविधाजनक माध्यमों के द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रत्येक विद्यार्थियों को उपलब्ध करायेगें। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अधिकांश प्रश्न विश्लेषणात्मक पूछे जा सकते है।
4. निर्धारित तिथि पर विद्यार्थी प्रश्नपत्रों के आधार पर अपने निवास स्थान पर उत्तर पुस्तिका में **स्वहस्ते** उत्तर लिखेंगे।
5. विद्यार्थी उक्त उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक लिखित पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर ई-मेल, स्पीड पोस्ट अथवा विभाग/ संस्थान में स्वयं उपस्थित होकर विषय शिक्षक द्वारा तय की गई अवधि में अनिवार्य रूप से भेजेंगे/जमा करेगें।
6. संबंधित विषय शिक्षक विद्यार्थियों से ई मेल अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त उपरोक्त उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह के भीतर विभागों/ संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। (ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं उनका प्रिंटआउट न लेते हुए सीडी में सेव कर एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं यथावत विभागों/ संबद्ध अध्ययन संस्थओं में जमा होगी।)
7. उपर्युक्त पद्धति से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय के समस्त परिसर/विभाग एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाएं 6 माह हेतु अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे। **उक्त उत्तर- पुस्तिकाओं का औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा रेण्डम पद्धति से किया जायेगा।**
8. तृतीय आतंरिक मूल्यांकन की यह परीक्षा उक्त पद्धति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा / स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परिसरों एवं संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं में आयोजित की जायेगी।
9. तृतीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा को उपरोक्त पद्धति से सम्पादित करने के उपरांत उसका नियमानुसार मूल्यांकन करके ही परिसर एवं संबंद्ध अध्ययन संस्थाएं आंतरिक मूल्यांकन के तथा प्रायोगिक परीक्षा के अंको को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करेगें।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

पृ. क्रं./अका./2021/ 237 भोपाल, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि --

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षगणों एवं परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबंद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ।
4. डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
5. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
6. प्रभारी बेवसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव